न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/133/2024 रजू दिनांकः 07.10.2024 रजि0 न0 2024/240

अपीलार्थीः–

श्री कृष्ण कुमार मीना, निवासी ए–165, जेडीए कॉलोनी, पलडी मीना, आगरा रोड़, वार्ड नं0 34, जयपुर, जिला जयपुर–302031 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal पर आवेदन सं 293483402824750 दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रतिमाह पदों से संबंधित भिजवाए जाने वाले मानचित्र बमाह जुलाई, 2024 की प्रति चाही गई थी जिसके संबंध में व प्रासंगिक अपील के अनुक्रम में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर सूचना संकलित किए जाने पर, संबंधित अनुभाग–प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) मिनी सचिवालय, अलवर के पत्रांक भू.अ./स्था./2024/14868 दिनांक 22.10..2024 एवं अति0 कलक्टर (प्रथम) अलवर (प्रभारी अधिकारी (स्थापन) कलक्ट्रे अलवर) के पत्रांक स्था./आर.टी.आई./2024/5012 दिनांक 23.10.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना (कुल 07 पुष्ठ) से, ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 2869386841 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका अन्य कोई सूचना शेष नहीं है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को RTI Online Portal पर आवेदन संख्या 293483402824750 दिनांक 13.08.2024 के संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्रांका 2869386841 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/2014 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा उक्त प्ररकण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)